फा.सं.डी-29013/9/2013-सामा.IV

संघ लोक सेवा आयोग

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली- 110069

सेवा

दिनांकः 31/12/2014

मैसर्स जगदम्बा प्रिंटर्स

198/40, गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलाश,

नई दिल्ली–110065

विषय :- विशेष मुद्रित लिफाफों के मुद्रण तथा आपूर्ति के लिए निविदा।

महोदय,

मुझे इस कार्यालय के दिनांक 18/07/2013 के समसंख्यक आपूर्ति आदेश का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे मार्किन कपड़े की लाइनिंग वाले 10,000 स.लो.से.आ., डी-3 तथा डी-4 हरे लिफाफों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आपूर्ति आदेश की प्राप्ति से 07 दिनों के अंदर 12500/-रू. निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराएं। दिनांक 26.08.2013 के अनुस्मारक के बावजूद आप 07 दिनों के अंदर निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहे। बाद में एन.आई.टी. के खंड 6 (ग) के अनुसार 11/9/2013 को लिफाफों के आपूर्ति आदेश में लिफाफों की सख्या को 8,500 कर दिया गया (अर्थात 3000 डी-3 लिफाफे तथा 5,500 डी-4 लिफाफे)। दिनांक 11/11/2013 को आपने सूचित किया था कि ई.एम.डी. राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में माना जाए।

2. 8,500 लिफाफों के आपूर्ति आदेश के प्रत्युत्तर में फर्म ने केवल 3000 लिफाफों की आपूर्ति 20/9/2013 को तथा 1000 लिफाफों (कुल 4000/- लिफाफे केवल) की आपूर्ति दिनांक 11/11/2013 को दी है। प्रयोक्ता अनुभाग ने दिनांक 7/11/2013 को आपूर्ति किए गए लिफाफो के घटिया होने की शिकायत की है क्योंकि लिफाफों में लगा हरा कागज खराब / कटी फटी हालत में था। इस प्रकार आपूर्ति किए गए 4000 लिफाफों में से 2038 लिफाफों

को प्रयोक्ता अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार घटिया गुणवत्ता/बेकार होने के कारण आपको वापिस भेज दिया गया। यहां तक कि 1962 लिफाफे जिनका प्रयोग किया गया वे भी एन.आई.टी. में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार नहीं थे।

3. यह पुन: उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 7/3/2014 के अनुरोध के बावजूद फर्म ने न तो खराब लिफाफों को बदला है और न ही उसने विशिष्टताओं के अनुसार लिफाफों की गुणवत्ता को सुधारने का कोई प्रयास किया है। यह जगदम्बा प्रिंटर की ओर से संविदा भंग है और इसलिए प्रयोक्ता अनुभाग के प्रमाण पत्र और वित्त स्कंध की सलाह के अनुसार फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल को केवल 1962 लिफाफों के लिए (यद्यपि खराब) 18543/- रू. तक सीमित कर दिया गया है।

4. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 13/8/2014 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि घटिया गुणवत्ता के / खराब लिफाफों की आपूर्ति करने के लिए आपकी फर्म के विरूद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

5. फर्म से उत्तर की प्राप्ति पर इस मामले की पुन: जांच की गई। तथापि, सक्षम प्राधिकारी आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं थी और आपकी फर्म के विरूद्ध एन.आई.टी. की खंड 6 (जी.) के अनुसार शास्ति लगाने का अनुमोदन कर दिया "अर्थात जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई बोलीदाता जो घटिया/नकली/जाली उत्पादन आपूर्ति करता पाया जाता है उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा, और उसकी निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी" । तदनुसार आपकी फर्म के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति लगाई जाती है।

(i) आपके द्वारा जमा की गई 7900/- रूपए की ई.एम.डी. / निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जाती है।

(ii) संघ लोक सेवा आयोग में आपकी फर्म को काली सूची में डाला जाता है।

भवदीय,

अवर सचिव (सामा.)